



## भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय,

शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल - 17

Phone: 2661263,2737446 Fax: 2661263 Website:bsgmp.net E\_mail:scoutguide\_bpl@dataone.in

क्र०/ 4184 /रा०मु०/गति./2011  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 29-8-2011

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास पदेन जिला कमिश्नर स्काउट जिला.....
2. समस्त समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का.गा.)  
भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
संभागीय कार्यालय .....

विषय : रोवर-रेंजर समागम का आयोजन ।

सन्दर्भ : राज्य के वार्षिक कार्यक्रमानुसार सत्र 2011-2012

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत वार्षिक कार्यक्रमानुसार रोवर/रेंजर को युवा नेतृत्व, प्रतिभा विकास व गतिविधि को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य स्तरीय रोवर/रेंजर समागम का आयोजन किया जा रहा है। अतः अपने संभाग के उ.मा.वि. एवं स्वतंत्र दलों के रोवर/रेंजर को निम्न सूचनाओं के साथ सम्मिलित कराने हेतु निर्देशित करें।

1. शिविर का नाम : रोवर/रेंजर समागम।
2. स्थान : क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, जामठी, जिला बैतूल ।
3. कैसे पहुँचे : प्रशिक्षण केन्द्र जामठी, इटारसी और बैतूल के मध्य स्थित है, इटारसी मार्ग से बस द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर पहुँचा जा सकता है एवं बैतूल रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड से आटो/टैक्सी द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर पहुँचा जा सकता है। ट्रेन से यात्रा करने वाले प्रतिभागियों को सबसे नजदीकी रेल्वे स्टेशन बैतूल होगा।
4. अवधि : दिनांक 04.11.2011 से 08.11.2011 तक
5. उपस्थिति दिनांक : दिनांक 04.11.11 भोजन से पहले
6. कार्यमुक्ति दिनांक : दिनांक 08.11.11 भोजन के बाद
7. शुल्क : विकास/विशेष शुल्क 50.00 रु. प्रति रोवर/रेंजर स्का.गा.निधि से दे  
शिविर शुल्क 250.00 रु. प्रतिव्यक्ति -----"-----"

स्वतंत्र दल के रोवर/रेंजर/स्काउटर/गाइडर को शिविर शुल्क जिला संघ से प्रदाय किया जावे एवं मार्ग व्यय स्वयं द्वारा देय रहेगा। सम्मिलित होने वाले स्काउटर/गाइडर को नियमानुसार यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। अनु.जाति पोस्ट मैट्रिक एवं आवासीय विद्यालयों के रोवर/रेंजर को राज्य मुख्यालय से यात्रा व्यय व आतिथ्य देय होगा ।

8. **कार्यक्रम :** शिविर कला, विद्युज, सी.डी.प्रोजेक्ट, प्रदर्शनी, सेवाकार्य, हस्तकला, लघु उद्योग, समूह गीत, शिविर ज्वाल, पायनियरिंग, फास्टेएड बॉक्स, हाईकिंग, लोकगीत, लोकनृत्य निबंध, पेन्टिंग, आदि अन्य व्यक्तिगत प्रतियोगिता के कार्यक्रम ।
9. **कोटा :** प्रत्येक जिला से न्यूनतम 08 रोवर, 08 रेंजर को अनिवार्यतः सम्मिलित करावें।
10. **आवश्यक सामग्री :** ए. पी. आर.ओ. भाग 2 एवं 3 के अनुसार दो जोड़ी पूर्ण व्यवस्थित यूनिफार्म, टार्च, मच्छरदानी, भोजन करने के बर्तन, मौसम के अनुसार हल्का बिस्तर एवं पहनने व बदलने के कपड़े, प्रसाधन सामग्री।

अतः रोवर/रेंजर को आदेशित कर सम्मिलित होने वालो की सूची दिनांक 30.09.2011 तक अनिवार्यतः इस कार्यालय को प्रेषित करें।

  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.  
भोपाल, दिनांक

पृ.क्र./ /रा0मु0/गति./2011

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षक/उपायुक्त, आदिवासी विकास संभाग.....।
2. विशेष कर्तव्य अधिकारी, राज्य मुख्यालय भोपाल।
3. राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल।
4. लेखा/स्थापना कक्ष/परियोजना कक्ष राज्य मुख्यालय भोपाल।

  
राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड म.प्र.